



2026:AHC:18132

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - संख्या - 890 वर्ष 2026

मोहम्मद शौकीन

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: मोहम्मद ओन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद ओन और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालविया की बात सुनी।
2. रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपति इस आधार पर उठाई गई है कि याचिकाकर्ता को प्रतिपक्षी संख्या 4, निजी सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किया गया था, और इस प्रकार कोई भी पारिश्रमिक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा भुगतान किया जाना है, अतः रिट याचिका स्वीकार्य नहीं होगी।
3. इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है।
4. रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत अनुमत कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी गई है।

27 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)